

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग 2— अनुभाग 1क
PART II — Section 1A
प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं॰ 2] नई दिल्ली, शुक्रवार, 14 सितम्बर, 2018/23 भाद्रपद, 1940 (शक)

खंड LIV

NO.2] NEW DELHI, FRIDAY, SEPTEMBER 14, 2018/BHADRAPADA 23, 1940 (SAKA) [VOL. LIV

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके। Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

विधि और न्याय मंत्रालय

(विधायी विभाग)

नई दिल्ली, 14 सितम्बर, 2018/23 भाद्रपद, 1940 (शक)

दि कंपनीज (अमेंडमेंट) ऐक्ट 2015; (2) दि इन्सोल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड, 2016; (3) दि रीजनल सेंटर फार बायोटेक्नोलोजी ऐक्ट, 2016; (4) दि एडिमरल्टी (जुरिस्डिकशन एंड सेटलमेंट आफ मैरिटाइम क्लेम्स) ऐक्ट, 2017; (5) दि इंडियन इंस्टीट्यूट आफ इनफोरमेशन टेक्नोलोजी (पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप) ऐक्ट, 2017; (6) दि नेशनल कैपिटल टैरीटरी आफ दिल्ली लॉज (स्पेशल प्रोविजन्स) सेकंड (अमेंडमेंट) ऐक्ट, 2017; और (7) दि इंडियन इंस्टीट्यूट आफ पेट्रोलियम एंड एनर्जी ऐक्ट, 2017 के निम्निलिखित हिन्दी अनुवाद राष्ट्रपति के प्राधिकार से प्रकाशित किए जाते हैं और ये राजभाषा अधिनियम, 1963 (1963 का 19) की धारा 5 की उपधारा (1) के खंड (क) के अधीन उनके हिन्दी में प्राधिकत पाठ समझे जाएंगे:—

MINISTRY OF LAW AND JUSTICE

(Legislative Department)

New Delhi, September 14, 2018/Bhadrapada 23, 1940 (Saka)

The translastion in Hindi of the following, namely:— The Companies (Amendment) Act, 2015; (2) The Insolvency and Bankruptcy Code, 2016; (3) The Regional Centre for Biotechnology Act, 2016; (4) The Admiralty (Jursidiction and Settlement of Maritime Claims) Act, 2017; (5) The Indian Institutes of Information Technology (Public-Private Partnership) Act, 2017; (6) The National Capital Territory of Delhi Laws (Special provisions) Second (Amendment) Act, 2017; and (7) The Indian Institute of Petroleum and Energy Act, 2017; are hereby published under the authority of the President and shall be deemed to be the authoritative texts thereof in Hindi under clause (*a*) of sub-section (*1*) of section 5 of the Official Languages Act, 1963 (19 of 1963):—

	पृष्ठ
कंपनी (संशोधन) अधिनियम, 2015 (2015 का अधिनियम संख्यांक 21)	171
दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 (2016 का अधिनियम संख्यांक 31) The Insolvency and Bankruptcy Code, 2016	177
क्षेत्रीय जैव प्रौद्योगिकी केन्द्र अधिनियम, 2016 (2016 का अधिनियम संख्यांक 36) The Regional Centre for Biotechnology Act, 2016	293
नावधिकरण (समुद्री दावा की अधिकारिता और निपटारा) अधिनियम, 2017 (2017 का अधिनियम संख्यांक 22) The Admiralty (Jursidiction and Settlement of Maritime Claims) Act, 2017	311
भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान (पब्लिक-प्राइवेट भागीदारी) अधिनियम, 2017 (2017 का अधिनियम संख्यांक 23) The Indian Institutes of Information Technology (Public-Private Partnership) Act, 2017	321
दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र विधि (विशेष उपबंध) दूसरा (संशोधन) अधिनियम, 2017 (2017 का अधिनियम संख्यांक 32)	343
The National Capital Territory of Delhi Laws (Special provisions) Second (Amendment) Act, 2017	515
भारतीय पेट्रोलियम और ऊर्जा संस्थान अधिनियम, 2017 (2018 का अधिनियम संख्यांक 3) The Indian Institute of Petroleum and Energy Act, 2017	345

क्षेत्रीय जैव प्रौद्योगिकी केन्द्र अधिनियम, 2016

(2016 का अधिनियम संख्यांक 36)

[29 जुलाई, 2016]

क्षेत्रीय जैव प्रौद्योगिकी केन्द्र नामक संस्था को, राष्ट्रीय महत्व की संस्था स्थापित करने के लिए और उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने के लिए अधिनियम

तारीख 14 जुलाई, 2006 को भारत सरकार और संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन के बीच भारत में क्षेत्रीय जैव प्रौद्योगिकी प्रशिक्षण और शिक्षा केन्द्र की स्थापना और उसके प्रचालन के लिए करार किया गया था;

और उक्त करार के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार ने तारीख 20 अप्रैल, 2009 के कार्यपालिक आदेश द्वारा फरीदाबाद, हरियाणा में क्षेत्रीय जैव प्रौद्योगिकी प्रशिक्षण और शिक्षण केन्द्र स्थापित किया था;

और क्षेत्रीय जैव प्रौद्योगिकी केन्द्र को सुदृढ़ बनाने और जैव प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में तथा सम्बन्धित बहु शिक्षण सम्बन्धी क्षेत्रों में शिक्षण, प्रशिक्षण और अनुसंधान करने के लिए राष्ट्रीय महत्व की संस्था बनाए जाने के लिए उपबंध करना समीचीन है।

भारत गणराज्य के सड़सठवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:—

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम क्षेत्रीय जैव प्रौद्योगिकी केन्द्र अधिनियम, 2016 है। संक्षिप्त नाम और प्रांरभ।

(2) यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा, जो केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियत करे। परिभाषाएं।

- 2. इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,---
- (क) ''शैक्षणिक कर्मचारिवृंद'' से सहायक आचार्य, सह आचार्य, आचार्य, संकायाध्यक्ष, उप संकायाध्यक्ष, कार्यपालक निदेशक और ऐसे अन्य व्यक्ति, जिसके अन्तर्गत अभ्यागत आचार्य, ख्यातिप्राप्त आचार्य, मानद आचार्य, संबद्ध आचार्य और प्रतिष्ठित आचार्य भी हैं, जो क्षेत्रीय जैव प्रौद्योगिकी केन्द्र में शिक्षा देने, प्रशिक्षण या अनुसंधान करने के लिए नियुक्त किए जाएं या लगाए जाएं, अभिप्रेत हैं;
 - (ख) ''बोर्ड'' से धारा 14 के अधीन गठित शासक बोर्ड अभिप्रेत है;
 - (ग) ''अध्ययन बोर्ड'' से धारा 21 में निर्दिष्ट क्षेत्रीय केन्द्र का अध्ययन बोर्ड अभिप्रेत है:
 - (घ) ''अध्यक्ष'' से बोर्ड का अध्यक्ष अभिप्रेत है:
- (ङ) ''कर्मचारी'' से क्षेत्रीय केन्द्र द्वारा नियुक्त कोई व्यक्ति अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत क्षेत्रीय केन्द्र के अधिकारी, शैक्षणिक और अन्य कर्मचारिवृंद भी हैं;
- (च) ''कार्यपालिका सिमिति'' से धारा 18 के अधीन गठित क्षेत्रीय केन्द्र की कार्यपालिका सिमिति अभिप्रेत है;
- (छ) "कार्यपालक निदेशक" से धारा 23 की उपधारा (1) के अधीन नियुक्त क्षेत्रीय केन्द्र का कार्यपालक निदेशक अभिप्रेत है;
- (ज) ''विद्यमान क्षेत्रीय केन्द्र'' से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, फरीदाबाद में क्षेत्रीय जैव प्रौद्योगिकी प्रशिक्षण और शिक्षण केन्द्र अभिप्रेत है;
- (झ) ''छात्र निवास'' से क्षेत्रीय केन्द्र के छात्रों के लिए, उसके द्वारा चलाए गए या मान्यताप्राप्त किसी भी नाम से ज्ञात निवास की कोई इकाई अभिप्रेत हैं;
- (ञ) ''संस्था'' के अन्तर्गत भारत के भीतर या बाहर के ऐसे स्वशासी संगठन सिम्मिलित हैं, जो जैव प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में शिक्षण, प्रशिक्षण दे रहे हैं और अनुसंधान कर रहे हैं और जो भारत सरकार या उद्योग या विश्वविद्यालयों या अन्य संगठनों द्वारा समर्थित हैं;
- (ट) ''अध्यादेश'' से धारा 42 के अधीन कार्यक्रम सलाहकार समिति द्वारा विरचित अध्यादेश अभिप्रेत हैं:
- (ठ) ''कार्यक्रम सलाहकार सिमिति'' से धारा 17 के अधीन गठित क्षेत्रीय केन्द्र की कार्यक्रम सलाहकार सिमिति अभिप्रेत है;
- (ङ) ''क्षेत्र'' से दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन राष्ट्रों के राज्यक्षेत्रों और साधारणतया, एशिया क्षेत्र में समाविष्ट क्षेत्र अभिप्रेत हैं;
- (ढ) ''क्षेत्रीय केन्द्र'' से धारा 3 के अधीन स्थापित क्षेत्रीय जैव प्रौद्योगिकी केन्द्र अभिप्रेत है;
- (ण) ''विनियम'' से धारा 43 के अधीन क्षेत्रीय केन्द्र के किसी प्राधिकरण द्वारा बनाए गए विनियम अभिप्रेत हैं:
 - (त) ''परिनियम'' से धारा 41 के अधीन बोर्ड द्वारा विरचित परिनियम अभिप्रेत हैं;
 - (थ) ''युनेस्को'' से संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन अभिप्रेत है।

3. (1) जैव प्रौद्योगिकी विभाग, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अधीन कार्य करने वाले क्षेत्रीय जैव प्रौद्योगिकी प्रशिक्षण और शिक्षण केन्द्र, फरीदाबाद, हरियाणा को "क्षेत्रीय जैव प्रौद्योगिकी केन्द्र" नाम से एक निगमित निकाय के रूप में स्थापित किया जाता है जिसका शाश्वत् उत्तराधिकार होगा और एक सामान्य मुद्रा होगी और उसे इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन रहते हुए संविदा करने की शिक्त होगी तथा वह उक्त नाम से वाद लाएगा या उस पर वाद लाया जाएगा।

क्षेत्रीय जैव प्रौद्योगिकी केन्द्र की स्थापना और निगमन।

- (2) क्षेत्रीय केन्द्र, धारा 13 में विनिर्दिष्ट शासक बोर्ड और प्राधिकरणों से मिलकर बनेगा।
- (3) क्षेत्रीय केन्द्र का मुख्यालय, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र फरीदाबाद में के उसके परिसर में होगा।
- 4. क्षेत्रीय जैव प्रौद्योगिकी केन्द्र नामक संस्था के उद्देश्य ऐसे हैं जो उसे राष्ट्रीय महत्व की एक संस्था बनाती है, यह घोषित किया जाता है कि क्षेत्रीय जैव प्रौद्योगिकी केन्द्र एक राष्ट्रीय महत्व की संस्था है।

राष्ट्रीय महत्व की संस्था के रूप में क्षेत्रीय जैव प्रौद्योगिकी केन्द्र की घोषणा।

5. (1) इस अधिनियम के प्रारंभ से ही,—

क्षेत्रीय केन्द्र की स्थापना का प्रभाव।

- (क) इस अधिनियम से भिन्न किसी विधि में या किसी संविदा या अन्य लिखतों में विद्यमान क्षेत्रीय केन्द्र के प्रति किसी निर्देश के बारे में यह समझा जाएगा कि वह क्षेत्रीय केन्द्र के प्रति निर्देश है;
- (ख) विद्यमान क्षेत्रीय केन्द्र की या उससे संबद्ध सभी जंगम और स्थावर संपत्तियां और आस्तियां क्षेत्रीय केन्द्र में निहित हो जाएंगी;
- (ग) विद्यमान क्षेत्रीय केन्द्र के सभी अधिकार और दायित्व क्षेत्रीय केन्द्र को अन्तरित हो जाएंगे और वे उसके अधिकार और दायित्व होंगे;
- (घ) खंड (ग) के उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना विद्यमान क्षेत्रीय केन्द्र द्वारा, उक्त क्षेत्रीय केन्द्र के प्रयोजनों के लिए या उसके संबंध में उक्त तारीख से ठीक पहले उपगत सभी ऋण, बाध्यताएं और दायित्व, उसके साथ या उसके लिए की गई सभी संविदाएं और किए जाने वाले ऐसे सभी मामले और प्रयुक्त चीजें क्षेत्रीय केन्द्र द्वारा उपगत, उसके साथ या उसके लिए उपगत, की गई, प्रयुक्त की जाने वाली समझी जाएंगी;
- (ङ) उस तारीख से ठीक पूर्व विद्यमान क्षेत्रीय केन्द्र को देय सभी धनराशियां क्षेत्रीय केन्द्र को देय समझी जाएंगी;
- (च) उस तारीख से ठीक पहले विद्यमान क्षेत्रीय केन्द्र द्वारा या उसके विरुद्ध संस्थित सभी वाद और अन्य विधिक कार्यवाहियां या जो संस्थित की जा सकती थीं, क्षेत्रीय केन्द्र द्वारा या उसके विरुद्ध जारी रखी जा सकेंगी या संस्थित की जा सकेंगी;
- (छ) इस अधिनियम के प्रारंभ के ठीक पूर्व विद्यमान क्षेत्रीय केन्द्र के अधीन पद धारण करने वाला या उसमें अध्यापन करने वाला प्रत्येक कर्मचारी (जिसके अंतर्गत वे कर्मचारी भी हैं जिन्हें विद्यमान क्षेत्रीय केन्द्र में शिक्षा देने या प्रशिक्षण देने या अनुसंधान करने के लिए नियुक्त किया है) उसी सेवाधृति तक और पारिश्रमिक, छुट्टी, भविष्य निधि, निवृत्ति और अन्य सेवांत सुविधाओं की बाबत सेवा के उन्हीं निबंधनों और शर्तों पर क्षेत्रीय केन्द्र में अपना पद धारण

करेगा या उसमें अध्यापन जारी रखेगा जैसे वह उस दशा में पद धारण करता यदि अधिनियम अधिनियमित नहीं किया गया होता और क्षेत्रीय केन्द्र के कर्मचारी के रूप में, यदि ऐसा कर्मचारी ऐसी अविध के भीतर क्षेत्रीय केन्द्र का कर्मचारी नहीं होने का विकल्प लेता है तब तक बना रहेगा जब तक उस तारीख से छह मास की अविध समाप्त नहीं हो जाती है।

(2) औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 में या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए भी इस धारा के अधीन क्षेत्रीय केन्द्र द्वारा किसी कर्मचारी के, उसकी नियमित सेवा में आमेलन से ऐसा कर्मचारी, उस अधिनियम या किसी अन्य विधि के अधीन किसी प्रतिकर का हकदार नहीं होगा और किसी न्यायालय, अधिकरण या किसी अन्य प्राधिकरण द्वारा कोई ऐसा दावा ग्रहण नहीं किया जाएगा।

1947 का 14

अधिकारिता।

6. क्षेत्रीय केन्द्र की अधिकारिता का विस्तार संपूर्ण भारत पर और भारत के भीतर या बाहर क्षेत्रीय केन्द्र द्वारा स्थापित ऐसे केन्द्रों और अनुसंधान, विकास और शिक्षा के लिए स्थापित विशिष्ट प्रयोगशालाओं या अन्य इकाइयों पर होगा।

क्षेत्रीय केन्द्र के उद्देश्य।

- 7. क्षेत्रीय केन्द्र के उद्देश्य निम्नलिखित होंगे,—
- (क) प्रौद्योगिकी नीति विकास सहित, जैव प्रौद्योगिकी की ऐसी शाखाओं में और ऐसे संबंधित क्षेत्रों में जैसा वह ठीक समझे, शिक्षा और अनुसंधान की सुविधाएं प्रदान करते हुए ज्ञान का प्रसार और उसमें अभिवृद्धि करना;
- (ख) क्षेत्रीय और अंतरराष्ट्रीय सहयोग के माध्यम से सतत विकास के उद्देश्यों के लिए जैव प्रौद्योगिकी और संबंधित शैक्षणिक क्षेत्रों में शिक्षा, प्रशिक्षण, अनुसंधान तथा विकास के माध्यम से क्षमता निर्माण करना;
- (ग) क्षेत्रीय स्तर पर जैव प्रौद्योगिकी से संबंधित ज्ञान और प्रौद्योगिकी के अंतरण को सुकर बनाना;
- (घ) क्षेत्र में के देशों में जैव प्रौद्योगिकी विशेषज्ञता केन्द्रों का सृजन करना और क्षेत्र में मानव संसाधन आवश्यकताओं की पूर्ति करना;
- (ङ) लोगों की सामाजिक और आर्थिक दशाओं में सुधार और कल्याण के लिए अंतरराष्ट्रीय सहयोग का संवर्धन करना और उसको सुदृढ़ करना;
- (च) भारत के भीतर के साथ ही साथ क्षेत्र में उपग्रह केन्द्रों के नेटवर्क का संवर्धन करना और उसको सुकर बनाना।

क्षेत्रीय केन्द्र के कृत्य।

- 8. क्षेत्रीय केन्द्र के कृत्य निम्नलिखित होंगे,—
- (क) ऐसे अवसंरचना और प्रौद्योगिकी मंचों की स्थापना करना जो जैव प्रौद्योगिकी शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान से प्रत्यक्ष रूप से सुसंगत हो;
- (ख) जैव प्रौद्योगिकी और सम्बन्धित क्षेत्रों में शैक्षणिक और प्रशिक्षण क्रियाकलापों का निष्पादन करना जिसके अन्तर्गत शिक्षा और अनुसंधान में डिग्रियां प्रदान करना भी है;

- (ग) जैव प्रौद्योगिकी में, विशिष्टतया नए अवसरों के क्षेत्रों में नवीनता लाने वाले अनुकूल मानव संसाधन उत्पन्न करना और अपूर्ण क्षेत्रों में योग्यता की कमी को पूरा करना;
- (घ) क्षेत्र में सुसंगत अनुसंधान केन्द्रों के सहयोग से अनुसंधान और विकास तथा वैज्ञानिक खोजें करना:
- (ङ) भारत के भीतर या क्षेत्र में या क्षेत्र के बाहर वैज्ञानिक परिसंवाद और सम्मेलन आयोजित करना तथा जैव प्रौद्योगिकी के सभी क्षेत्रों में अल्पकालिक और दीर्घकालिक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम और कार्यशालाएं संचालित करना;
- (च) जैव संबंधी जानकारी के लिए डाटा बैंक की स्थापना करने की दृष्टि से सर्वत्र उपलब्ध जानकारियां एकत्र करना;
- (छ) स्थानीय पणधारी समुदायों के बौद्धिक संपत्ति अधिकारों की संरक्षा सुनिश्चित करते हुए जैव प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सुसंगत स्थानीय ज्ञान को नेटवर्किंग के माध्यम से एकत्र करना और उसका प्रसार करना;
- (ज) बौद्धिक संपदा अधिकारों के लिए ऐसी नीति का विकास और उसका कार्यान्वयन करना, जो क्षेत्रीय केन्द्र में के अनुसंधान में अंतर्विलित पणधारियों के लिए साम्यापूर्ण और न्यायसंगत हो;
- (झ) पुस्तकों और लेखों के प्रकाशन के माध्यम से विभिन्न देशों में अनुसंधान क्रियाकलापों के परिणाम का प्रसार करना;
- (ञ) राष्ट्रीय, क्षेत्रीय और अंतरराष्ट्रीय नेटवर्कों के साथ जैव प्रौद्योगिकी के विनिर्दिष्ट क्षेत्रों में सहयोगात्मक अनुसंधान और विकास नेटवर्किंग कार्यक्रम का संवर्धन करना और क्षेत्रीय स्तर पर सहयोग करने वाली संस्थाओं के साथ फायदों की साम्यापूर्ण साझेदारी का संवर्धन करने के लिए सहयोग करने वाली संस्थाओं के बौद्धिक संपदा अधिकारों से संबंधित मुद्दों को ध्यान में रखते हुए वैज्ञानिकों के आदान-प्रदान का संवर्धन करना।
- 9. क्षेत्रीय केन्द्र, अन्य राष्ट्रीय, क्षेत्रीय और यूनेस्को की अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं के घनिष्ठ सहयोग से अपने उद्देश्यों को प्रवृत्त करेगा और अपने कृत्यों का निर्वहन करेगा।

क्षेत्रीय केन्द्र का यूनेस्कों की अन्य संस्थाओं के सहयोग से कार्य करना।

10. (1) क्षेत्रीय केन्द्र की निम्नलिखित शक्तियां होंगी, अर्थात्:—

क्षेत्रीय केन्द्र की शक्तियां।

- (क) जैव प्रौद्योगिकी और विभिन्न विद्या शाखाओं के अंतरापृष्ठ पर संबंधित विषयों जिनके अंतर्गत भौतिक, रसायन, जीव विज्ञान, चिकित्सा, कृषि और इंजीनियरी तथा ऐसे अन्य सुसंगत विज्ञान, जो क्षेत्रीय केन्द्र द्वारा समय-समय पर अवधारित किए जाएं, में मास्टर डिग्री (जिसके अंतर्गत मास्टर डिग्री के लिए एकीकृत कार्यक्रम भी हैं) स्नातकोत्तर डिप्लोमा और डाक्टोरल डिग्री के लिए उपबंध करना;
- (ख) जैव प्रौद्योगिकी और ऐसे सम्बन्धित क्षेत्रों के, जो समय-समय पर परिनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएं, विकास, विस्तार, क्रियान्वयन और विनियमन से संबंधित विनिर्दिष्ट मुद्दों पर जैव प्रौद्योगिकी में अल्पकालिक और दीर्घकालिक प्रशिक्षण पाट्यक्रमों का उपबन्ध करना;

- (ग) जैव प्रौद्योगिकी में बाहरी अध्ययनों, प्रशिक्षण और प्रसार सेवाओं को आयोजित करना और कराना:
- (घ) परिनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट रीति से खंड (क) में निर्दिष्ट सम्मानित डिग्रियां या अन्य विद्या संबंधी उपाधियां प्रदान करना:
- (ङ) क्षेत्रीय केन्द्र द्वारा अपेक्षित आचार्य पद, सह-आचार्य पद, सहायक आचार्य पद और अन्य शैक्षणिक पद संस्थित करना और ऐसे आचार्य पदों, सह-आचार्य पदों, सहायक आचार्य पदों या अन्य शैक्षणिक पदों पर व्यक्तियों को नियुक्त करना;
- (च) इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए भारत के भीतर किसी उच्चतर विद्या संस्था के रूप में मान्यता देना और परिनियमों में अधिकथित सिन्तयमों के अनुसार ऐसी मान्यता को वापस लेना:
- (छ) किसी अन्य संस्था में, जिसके अंतर्गत ऐसी संस्थाएं भी हैं जो भारत के बाहर अवस्थित हैं, कार्यरत व्यक्तियों को क्षेत्रीय केन्द्र के शैक्षणिक कर्मचारिवृंदों के रूप में, ऐसी अविध के लिए, जो परिनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए, नियुक्ति करना;
- (ज) ऐसे प्रशासनिक, तकनीकी और अन्य पदों का सृजन करना, जो परिनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएं और उस पर नियुक्ति करना;
- (झ) किसी संस्था को जिसके अन्तर्गत ऐसी संस्थाएं भी हैं जो देश से बाहर अवस्थित हैं, ऐसी रीति में, जो विनिर्दिष्ट की जाए और जो क्षेत्रीय केन्द्र द्वारा ऐसे प्रयोजनों के लिए अवधारित किए जाएं या करार पाए जाएं, सहकार करना या सहयोग करना या सहयुक्त होना;
- (ञ) भारत में और भारत के बाहर अनुसंधान, विकास और शिक्षा के लिए ऐसे केन्द्रों और विशेषित प्रयोगशालाओं या अन्य इकाइयों की, जो परिनियमों द्वारा समय-समय पर अवधारित की जाएं, स्थापना करना और उन्हें बनाए रखना;
- (ट) ऐसी अध्येतावृत्तियां, छात्रवृत्तियां, अध्ययनवृत्तियां, पदक और पुरस्कार, जो परिनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएं, संस्थित और प्रदान करना;
- (ठ) अनुसंधान और सलाहकारी सेवाओं के लिए उपबंध करना और उस प्रयोजन के लिए ऐसी अन्य संस्थाओं, उद्योगों या अन्य संगठनों के, जिसके अन्तर्गत वे भी हैं जो देश के बाहर अवस्थित हैं, साथ ऐसे करार करना, जो परिनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएं;
- (ड) शिक्षकों, मूल्यांककों और अन्य पणधारियों के लिए पुनश्चर्या पाठ्यक्रम, कार्यशालाएं, विचार गोष्ठियां और अन्य कार्यक्रम आयोजित और संचालित करना;
- (ढ) ऐसे अभ्यागत आचार्यों, ख्यातिप्राप्त आचार्यों, मानद आचार्यों, सम्बद्ध आचार्यों, प्रतिष्ठित आचार्यों, परामिश्यों और ऐसे अन्य व्यक्तियों को नियुक्त करना जो क्षेत्रीय केन्द्र की उन्नित और उद्देश्यों के लिए योगदान दे सकें;
- (ण) क्षेत्रीय केन्द्र में प्रवेश के मानकों को अवधारित करना जिसके अन्तर्गत परीक्षा, मुल्यांकन या परीक्षण की कोई अन्य पद्धति भी है;
- (त) फीसों और अन्य प्रभारों को निश्चित करना, उनकी मांग करना और उन्हें प्राप्त करना;

- (थ) क्षेत्रीय केन्द्र के छात्रों के लिए छात्र निवास या निवास और छात्रों के लिए अन्य वास-सुविधाएं स्थापित करना, उन्हें मान्यता देना, उनका अनुरक्षण और प्रबंध करना और ऐसी किसी मान्यता को वापस लेना;
- (द) समस्त प्रवर्गों के कर्मचारियों की सेवा की शर्तें जिनके अन्तर्गत उनकी आचार संहिता भी है, अधिकथित करना;
- (ध) छात्रों और कर्मचारियों के बीच अनुशासन विनियमित करना और उसका पालन कराना तथा इस संबंध में ऐसे अनुशासनात्मक उपायों को करना जो क्षेत्रीय केन्द्र द्वारा आवश्यक समझे जाएं;
- (न) क्षेत्रीय केन्द्र के छात्रों और कर्मचारियों के स्वास्थ्य और सामान्य कल्याण की अभिवृद्धि के लिए व्यवस्थाएं करना;
- (प) क्षेत्रीय केन्द्र के प्रयोजनों या उद्देश्यों के लिए उपकृति, संदान और दान प्राप्त करना तथा किसी जंगम या स्थावर संपत्ति जिसके अन्तर्गत न्यास और विन्यास संपत्तियां भी हैं, का अर्जन, धारण और प्रबंध करना तथा केन्द्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन से उसका व्ययन करना;
- (फ) केन्द्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन से क्षेत्रीय केन्द्र की संपत्ति की प्रतिभूति पर धन उधार लेना; और
- (ब) ऐसे सभी अन्य कार्य और बातें करना जो धारा 7 में विनिर्दिष्ट उद्देश्यों को अग्रसर करने में आवश्यक हों।
- (2) उपधारा (1) के अधीन अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए क्षेत्रीय केन्द्र शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान का उच्च स्तर बनाए रखने का प्रयास करेगा और क्षेत्रीय केन्द्र, ऐसे अन्य उपायों में से, विशिष्टतया, निम्नलिखित उपाय, जो उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यक हों, करेगा, अर्थात:—
 - (क) सावधिक पुनर्विलोकन और पुनर्संरचना के लिए उपबंध के साथ नवीनतम पाठ्यक्रमों और अध्ययनों कार्यक्रमों का संचालन: और
 - (ख) प्रभावी प्रबंध सूचना प्रणाली के साथ ई-गवर्नेंस का संवर्धन।
- 11. क्षेत्रीय केन्द्र या उसके द्वारा मान्यताप्राप्त कोई संस्था स्त्री या पुरुष सभी व्यक्तियों के लिए, चाहे वे किसी भी जाित, पंथ, मूलवंश, नस्ल, राष्ट्रीयता या वर्ग के हों, खुला रहेगा और क्षेत्रीय केन्द्र या ऐसी संस्था के लिए यह विधिपूर्ण नहीं होगा कि वह किसी व्यक्ति को क्षेत्रीय केन्द्र या ऐसी संस्था के शैक्षणिक कर्मचारिवृंद के सदस्य के रूप में नियुक्त किए जाने या उसमें कोई अन्य पद धारण करने के लिए या क्षेत्रीय केन्द्र या ऐसी संस्था में छात्र के रूप में प्रवेश पाने के लिए या उसके किसी विशेषाधिकार का उपभोग या प्रयोग करने का हकदार बनाने के लिए धार्मिक विश्वास या मान्यता सम्बन्धी मापदंड अपनाएं या उस पर अधिरोपित करे।

क्षेत्रीय केन्द्र का सभी जातियों, पंथों, मूलवंश या वर्गों के लिए खुला होना।

12. क्षेत्रीय केन्द्र या क्षेत्रीय केन्द्र की बैठकों में भाग लेने वाले व्यक्ति ऐसे विशेषाधिकारों या उन्मुक्तियों का उपभोग करेंगे जो केन्द्रीय सरकार, क्षेत्रीय केन्द्र के संबंध में यूनेस्को और भारत सरकार के बीच समय-समय पर किए गए करार के अनुसरण में प्रदान करे।

क्षेत्रीय केन्द्र के विशोषाधिकार और उन्मुक्तियां।

क्षेत्रीय केन्द्र के प्राधिकरण।

- 13. क्षेत्रीय केन्द्र के निम्नलिखित प्राधिकरण होंगे, अर्थात्:--
 - (i) शासक बोर्ड;
 - (ii) कार्यक्रम सलाहकार समिति;
 - (iii) कार्यपालिका समिति;
 - (iv) वित्त समिति;
 - (v) अध्ययन बोर्ड; और
- (vi) ऐसे अन्य प्राधिकरण, जिन्हें परिनियमों द्वारा क्षेत्रीय केन्द्र का प्राधिकरण घोषित किया जाए।

शासक बोर्ड।

- 14. (1) इसका एक शासक बोर्ड होगा जो क्षेत्रीय केन्द्र के शासन के लिए उत्तरदायी होगा।
- (2) बोर्ड, क्षेत्रीय केन्द्र का शीर्ष निकाय होगा जो निम्नलिखित सदस्यों से मिलकर बनेगा, अर्थात:—
 - (क) भारत सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के जैव प्रौद्योगिकी विभाग का सचिव—पदेन अध्यक्ष;
 - (ख) सुसंगत क्षेत्र में भारत सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किए जाने वाले तीन विख्यात वैज्ञानिक जो भारत सरकार के संयुक्त सचिव या समतुल्य श्रेणी से नीचे के नहीं होंगे, उनमें से कम से कम एक महिला होगी—पदेन सदस्य;
 - (ग) यूनेस्को के महानिदेशक का प्रतिनिधि;
 - (घ) यूनेस्को के अन्य सदस्य राज्यों में से ऐसे दो प्रतिनिधि जिनका ऐसी रीति से, जो परिनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए, क्षेत्रीय केन्द्र को चलाने के लिए सारभूत रूप से संसाधनों का योगदान है—सदस्य।
 - (3) कार्यक्रम सलाहकार समिति का अध्यक्ष, बोर्ड की बैठकों का स्थायी आमंत्रिती होगा।
 - (4) क्षेत्रीय केन्द्र का कार्यपालक निदेशक, बोर्ड की बैठकों का संयोजक होगा।
 - (5) अध्यक्ष, सामान्यतया, बोर्ड की बैठकों की अध्यक्षता करेगा।
- (6) बोर्ड की बैठक वर्ष में कम से कम एक बार और ऐसे समय पर होगी जो अध्यक्ष द्वारा ऐसी रीति से, जो परिनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए, विनिश्चित की जाए।
 - (7) पदेन सदस्यों से भिन्न बोर्ड के सदस्यों की पदावधि वह होगी जो परिनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए।
- (8) इस अधिनियम, उसके अधीन बनाए गए परिनियमों और अध्यादेशों के उपबंधों के अधीन रहते हुए बोर्ड, बैठकों के संचालन और कारबार के संव्यवहार में (जिसके अंतर्गत गणपूर्ति भी है) अपनी स्वयं की प्रक्रिया विनियमित कर सकेगा।

बोर्ड की शक्तियां और कृत्य।

- 15. (1) इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन रहते हुए बोर्ड की निम्नलिखित शक्तियां और कृत्य होंगे, अर्थात्:—
 - (क) क्षेत्रीय केन्द्र की वार्षिक योजना और बजट का अनुमोदन करना;
 - (ख) क्षेत्रीय केन्द्र की व्यापक नीतियों और कार्यक्रमों का समय-समय पर पुनर्विलोकन करना और क्षेत्रीय केन्द्र के सुधार और विकास के लिए उपाय सुझाना;
 - (ग) क्षेत्रीय केन्द्र की वार्षिक रिपोर्ट और वार्षिक लेखाओं पर तथा ऐसे लेखाओं की संपरीक्षा रिपोर्ट पर विचार करना:
 - (घ) क्षेत्रीय केन्द्र की आंतरिक प्रक्रियाओं का, जिसके अन्तर्गत वित्तीय प्रक्रिया और कर्मचारिवृंद संबंधी विनियम भी हैं, अध्ययन और उनका अनुमोदन करना;

- (ङ) क्षेत्रीय केन्द्र के संगठनात्मक ढांचे का और शैक्षणिक कर्मचारिवृंद तथा अन्य कर्मचारियों की संख्या का अनुमोदन करना;
- (च) क्षेत्रीय केन्द्र की सेवाओं की परिधि को सुदृढ़ बनाने संबंधी प्रस्ताव अभिप्राप्त करने के लिए अपने सदस्यों का ऐसा विशेष परामर्शकारी सत्र बुलाना जिसमें वह अन्य हितबद्ध देशों तथा अंतरराष्ट्रीय संगठनों के प्रतिनिधियों को आमंत्रित कर सकेगा;
- (छ) क्षेत्रीय केन्द्र से सुसंगत परियोजनाओं और क्रियाकलापों को कार्यान्वित करना और निधि जुटाने की युक्ति और समर्थताओं का विस्तार करना; और
 - (ज) परिनियम विरचित करना।
- 16. (1) अध्यक्ष, ऐसी शक्तियों का प्रयोग और ऐसे कृत्यों का निर्वहन करेगा जो बोर्ड द्वारा उसे
 अध्यक्ष की शक्तियां और

 प्रत्यायोजित किए जाएं या जो परिनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएं।
- (2) यदि किसी कारण से अध्यक्ष, बोर्ड की बैठक में उपस्थित होने में असमर्थ है तो अध्यक्ष द्वारा बोर्ड का नामनिर्दिष्ट कोई सदस्य, बैठक की अध्यक्षता करेगा।
- 17. (1) कार्यक्रम सलाहकार सिमिति, क्षेत्रीय केन्द्र का प्रधान शैक्षणिक निकाय होगी और इस कार्यक्रम अधिनियम के उपबंधों के अधीन रहते हुए क्षेत्रीय केन्द्र के वैज्ञानिक और शैक्षणिक कार्यक्रमों की योजना सिमिति। बनाने, उसका निष्पादन, पुनर्विलोकन और मानीटरी करने की सलाह देगी।

कार्यक्रम सलाहकार स्मिति।

- (2) कार्यक्रम सलाहकार समिति निम्नलिखित सदस्यों से मिलकर बनेगी, अर्थातु:—
 - (क) कार्यक्रम सलाहकार समिति का बोर्ड द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाने वाला अध्यक्ष;
- (ख) यूनेस्को (संयुक्त राष्ट्र, शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन) द्वारा नामनिर्दिष्ट किए जाने वाले, दो सदस्य;
- (ग) यूनेस्को (संयुक्त राष्ट्र, शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन) के सदस्य राज्यों में से चक्रानुक्रम से नामनिर्दिष्ट किए जाने वाले ऐसे तीन सदस्य जो अधिकतम वित्तीय सहायता प्रदान करते है;
- (घ) केन्द्रीय सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किए जाने वाले, जैव प्रौद्योगिकी नीति और विधिक विषयों में विशेषज्ञता और अनुभव रखने वाले, दो सदस्य;
- (ङ) विख्यात वैज्ञानिक या विद्याव्यसनी व्यक्तियों में से बोर्ड द्वारा नामनिर्दिष्ट किए जाने वाले छह सदस्य।
- (3) कार्यपालक निदेशक, कार्यक्रम सलाहकार समिति का पदेन सदस्य सचिव होगा।
- (4) कार्यक्रम सलाहकार समिति,—
- (क) शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान संबंधी क्रियाकलापों की योजना बनाने और उसका समन्वय करने संबंधी विषयों पर सिफारिशें करने के लिए उत्तरदायी होगी;
- (ख) क्षेत्रीय केन्द्र की शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान कार्यक्रमों के उपांतरणों या पुनरीक्षण की सिफारिश करने और उस पर रिपोर्ट देने के लिए उत्तरदायी होगी;
- (ग) क्षेत्रीय केन्द्र के कार्यक्रमों का वार्षिक रूप से पुनर्विलोकन करने, उसकी प्रगति का मूल्यांकन करने और उस पर रिपोर्ट देने के लिए उत्तरदायी होगी;
- (घ) बोर्ड द्वारा या कार्यपालक निदेशक द्वारा उसे निर्दिष्ट वैज्ञानिक और तकनीकी मुद्दों से संबंधित किसी विषय पर रिपोर्ट प्रकाशित करने के लिए उत्तरदायी होगी;

- (ङ) ऐसे सभी कर्तव्यों का पालन करने और ऐसे सभी कृत्यों को करने के लिए उत्तरदायी होगी जो इस अधिनियम के अधीन शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान को अग्रसर करने के लिए आवश्यक हों;
 - (च) अध्यादेश विरचित करने के लिए उत्तरदायी होगी; और
 - (छ) ऐसे अन्य कृत्य करने के लिए उत्तरदायी होगी जो परिनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएं।
- (5) कार्यक्रम सलाहकार समिति के सदस्यों को संदेय फीस और भत्ते तथा उनकी पदावधि वह होगी जो परिनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए।
- (6) इस अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए परिनियमों और अध्यादेशों के अधीन रहते हुए कार्यक्रम सलाहकार सिमिति, बैठकों के संचालन और अपने कारबार के संव्यवहार के लिए (जिसके अंतर्गत गणपूर्ति भी है) अपनी स्वयं की प्रक्रिया विनियमित कर सकेगी:

परन्तु कार्यक्रम सलाहाकर समिति, शासक बोर्ड के समक्ष अपनी बैठकों का कार्यवृत्त रखेगी।

कार्यपालिका समिति।

- 18. (1) कार्यपालिका समिति, क्षेत्रीय केन्द्र का प्रबंध करने और प्रबंध संबंधी बोर्ड की नीतियों और विनिश्चयों के कार्यान्वयन के लिए उत्तरदायी होगी।
- (2) कार्यपालिका समिति का गठन, शक्तियां और कृत्य तथा उसके सदस्यों की पदाविध वह होगी, जो परिनियमों द्वारा विहित की जाए।

वित्त समिति।

- 19. (1) वित्त सिमिति, वित्तपोषण का पुनर्विलोकन करेगी, वार्षिक बजट प्राक्कलनों, लेखे विवरणों और संपरीक्षा रिपोर्टों पर विचार करेगी तथा उस पर बोर्ड को सिफारिशें करेगी।
- (2) वित्त सिमिति का गठन, शक्तियां और कृत्य, उसके सदस्यों की पदाविध वह होगी, जो परिनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट की जाएं।

क्षेत्रीय केन्द्र के अन्य प्राधिकरण। **20**. धारा 13 के खंड (vi) में निर्दिष्ट अन्य प्राधिकरणों का गठन, उनकी शक्तियां और कृत्य तथा, उनके सदस्यों की पदावधि वह होगी जो परिनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए।

अध्ययन बोर्ड।

21. अध्ययन बोर्ड का गठन, उसकी शक्तियां और कृत्य और उसके सदस्यों की पदाविध वह होगी जो, परिनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट की जाएं।

क्षेत्रीय केन्द्र के अधिकारी।

- 22. क्षेत्रीय केन्द्र के निम्नलिखित अधिकारी होंगे, अर्थात्:—
 - (i) कार्यपालक निदेशक;
 - (ii) संकायाध्यक्ष;
 - (iii) उप-संकायाध्यक्ष;
 - (iv) सहयुक्त निदेशक (प्रशासन);
 - (v) कुलसचिव;
 - (vi) वित्त अधिकारी; और
 - (vii) ऐसे अन्य अधिकारी जो परिनियमों द्वारा क्षेत्रीय केन्द्र के अधिकारी घोषित किए जाएं।

कार्यपालक निदेशक।

- 23. (1) कार्यपालक निदेशक की नियुक्ति बोर्ड की सिफारिश पर ऐसी रीति से और सेवा के ऐसे निबंधनों और शर्तों पर की जाएगी, जो परिनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट की जाएं।
 - (2) कार्यपालक निदेशक,—
 - (क) क्षेत्रीय केन्द्र का प्रधान कार्यपालक और शैक्षणिक अधिकारी होगा;
 - (ख) बोर्ड द्वारा स्थापित कार्यक्रमों और निदेशों के अनुरूप क्षेत्रीय केन्द्र के कार्य को निर्दिष्ट करेगा;

- (ग) बोर्ड को प्रस्तुत की जाने वाली कार्य योजना का प्रारूप और बजट का प्रस्ताव करेगा;
- (घ) बोर्ड के सत्रों के लिए कार्यसूची तैयार करेगा;
- (ङ) बोर्ड को प्रस्तुत करने के लिए क्षेत्रीय केन्द्र के क्रियाकलापों पर रिपोर्ट तैयार करेगा; और
- (च) ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग करेगा और ऐसे अन्य कृत्यों का पालन करेगा जो परिनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएं।
- (3) बोर्ड द्वारा कार्यपालक निदेशक को प्रत्यायोजित वित्तीय शक्तियां वे होंगी, जो परिनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट की जाएं।
- (4) कार्यपालक निदेशक, यदि उसकी यह राय है कि किसी विषय पर तुरन्त कार्रवाई करना आवश्यक है तो वह इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन क्षेत्रीय केन्द्र के किसी प्राधिकरण को प्रदत्त किसी शक्ति का प्रयोग कर सकेगा और ऐसे विषय पर उसके द्वारा की गई कार्रवाई की आगामी बैठक में ऐसे प्राधिकरण को रिपोर्ट करेगा।
- 24. संकायाध्यक्ष और उप-संकायाध्यक्ष की नियुक्ति ऐसी रीति में और सेवा के ऐसे निबंधनों संकायाध्यक्ष और उप-और शर्तों पर की जाएगी और वह ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगा तथा ऐसे कर्तव्यों का पालन करेगा, जो परिनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएं।

संकायाध्यक्ष।

25. (1) सहयुक्त निदेशक (प्रशासन) की नियुक्ति ऐसी रीति से और सेवा के ऐसे निबंधनों और शर्तों पर की जाएगी, जो परिनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट की जाएं।

सहयुक्त निदेशक (प्रशासन)।

- (2) सहयुक्त निदेशक (प्रशासन) को क्षेत्रीय केन्द्र की ओर से करार करने, दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने और अभिलेखों को अधिप्रमाणित करने की शक्ति होगी और वह ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगा तथा ऐसे कर्तव्यों का पालन करेगा, जो परिनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएं।
- 26. कुलसचिव की नियुक्ति ऐसी रीति से और सेवा के ऐसे निबन्धनों और शर्तों पर की जाएगी कुलसचिव। और वह ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगा और ऐसे कर्तव्यों का पालन करेगा, जो परिनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएं।
- 27. वित्त अधिकारी की नियुक्ति ऐसी रीति से और सेवा के ऐसे निबन्धनों और शर्ती पर की वित्त अधिकारी। जाएगी और वह ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगा और ऐसे कर्तव्यों का पालन करेगा, जो परिनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएं।
- 28. धारा 22 के खंड (vii) में निर्दिष्ट क्षेत्रीय केन्द्र के अन्य अधिकारियों की नियुक्ति की रीति अन्य अधिकारी। तथा शक्तियां और कर्तव्य तथा सेवा के अन्य निबन्धन और शर्तें वे होंगी, जो परिनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट की जाएं।
- 29. केन्द्रीय सरकार, संसद् द्वारा, क्षेत्रीय केन्द्र को इस निमित्त विधि द्वारा किए गए सम्यक् विनियोग के पश्चात् अनुदानों और उधारों के रूप में उतनी धनराशि का संदाय ऐसी रीति में कर सकेगी जो वह सरकार, इस अधिनियम के उद्देश्यों और प्रयोजनों को पूरा किए जाने हेतु उपयोग किए जाने के लिए आवश्यक समझे।

क्षेत्रीय केन्द्र को अनुदान और उधार।

30. (1) क्षेत्रीय केन्द्र एक निधि रखेगा, जिसमें निम्नलिखित जमा किया जाएगा,—

क्षेत्रीय केंद्र की निधि।

- (क) केन्द्रीय सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई सभी धनराशियां:
- (ख) क्षेत्रीय केन्द्र द्वारा प्राप्त सभी फीस और अन्य प्रभार;
- (ग) अनुदानों, दानों, संदानों, उपकृतियों, वसीयतों या अन्तरण के रूप में क्षेत्रीय केन्द्र द्वारा प्राप्त सभी धनराशियां; और

- (घ) किसी अन्य रीति में या किसी अन्य स्रोत से क्षेत्रीय केन्द्र द्वारा प्राप्त सभी धनराशियां।
- (2) निधि में जमा की गई सभी धनराशियां ऐसे बैंकों में जमा की जाएंगी या उनका ऐसी रीति में विनिधान किया जाएगा जैसा क्षेत्रीय केन्द्र, केन्द्रीय सरकार के अनुमोदन से विनिश्चय करे।
 - (3) निधि निम्नलिखित की पूर्ति के लिए उपयोजित की जाएगी,—
 - (क) क्षेत्रीय केन्द्र के बोर्ड के अध्यक्ष और सदस्यों या कार्यक्रम सलाहकार सिमित के अध्यक्ष और अन्य सिमितियों के सदस्यों को संदेय फीस और भत्ते तथा उसके शैक्षणिक कर्मचारिवृन्द, अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों को संदेय वेतन, भत्ते और अन्य पारिश्रमिक;
 - (ख) क्षेत्रीय केन्द्र के कृत्यों के निर्वहन में और उसके उद्देश्यों की पूर्ति के लिए तथा इस अधिनियम के अधीन यथा परिकल्पित प्रयोजनों के लिए हुए व्यय।

वार्षिक रिपोर्ट।

- 31. (1) क्षेत्रीय केन्द्र की वार्षिक रिपोर्ट, कार्यपालक निदेशक के निदेशाधीन तैयार की जाएगी जिसमें अन्य विषयों के साथ-साथ क्षेत्रीय केन्द्र द्वारा उसके उद्देश्यों की पूर्ति के लिए किए गए उपाय सिम्मिलित होंगे और वह बोर्ड को उस तारीख को या उसके पूर्व प्रस्तुत की जाएगी, जो परिनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए और बोर्ड अपनी वार्षिक बैठक में उस रिपोर्ट पर विचार करेगा।
- (2) ऐसी वार्षिक रिपोर्ट की एक प्रति, जो उपधारा (1) के अधीन तैयार की गई है, केन्द्रीय सरकार को प्रस्तुत की जाएगी, जो यथाशीघ्र उसे संसद् के दोनों सदनों के समक्ष रखवाएगी।

वार्षिक लेखे।

- 32. (1) क्षेत्रीय केन्द्र के वार्षिक लेखे और तुलनपत्र, बोर्ड के निदेशाधीन तैयार किए जाएंगे और भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा प्रत्येक वर्ष में कम से कम एक बार और पन्द्रह मास से अनिधक के अन्तरालों पर उनकी संपरीक्षा की जाएगी।
- (2) संपरीक्षा रिपोर्ट सहित लेखाओं की एक प्रति बोर्ड के संप्रेक्षणों के साथ, यदि कोई हों, केन्द्रीय सरकार को प्रस्तुत की जाएगी।
- (3) वार्षिक रिपोर्ट और वार्षिक लेखाओं की एक प्रति संपरीक्षा रिपोर्ट के साथ, केन्द्रीय सरकार को प्रस्तुत की जाएगी, जो यथाशीघ्र उसे संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवाएगी।
- (4) संपरीक्षित वार्षिक लेखे संसद् के दोनों सदनों के समक्ष रखे जाने के पश्चात् राजपत्र में प्रकाशित किए जाएंगे।

विवरणियां और जानकारी। 33. क्षेत्रीय केन्द्र, केन्द्रीय सरकार को, उसकी संपत्ति या क्रियाकलापों के संबंध में ऐसी विवरणियां या अन्य जानकारी, जिसकी केन्द्रीय सरकार, समय-समय पर अपेक्षा करे, केन्द्रीय सरकार द्वारा यथाविनिर्दिष्ट अविध के भीतर देगा।

क्षेत्रीय केन्द्र के कार्यकरण का पुनर्विलोकन।

- 34. (1) क्षेत्रीय केन्द्र के कार्यकरण का, केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त किए जाने वाले ऐसे सुविख्यात व्यक्तियों द्वारा, प्रत्येक चार वर्ष में एक बार पुनर्विलोकन किया जाएगा।
- (2) क्षेत्रीय केन्द्र, उपधारा (1) के अधीन पुनर्विलोकन कराने के लिए व्ययों को पूरा करेगा और ऐसे पुनर्विलोकन की रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर बोर्ड समुचित कार्रवाई कर सकेगा।
- (3) उपधारा (1) के अधीन पुनर्विलोकन के अतिरिक्त बोर्ड, क्षेत्रीय केन्द्र के प्रशासनिक और शैक्षणिक खंडों के कार्यकरण का, ऐसी रीति से और ऐसे अन्तरालों पर जो परिनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएं, पुनर्विलोकन कर सकेगा।

35. (1) क्षेत्रीय केन्द्र के कर्मचारियों की सभी नियुक्तियां परिनियमों में अधिकथित प्रक्रिया के अनुसार,—

क्षेत्रीय केन्द्र के कर्मचारियों की नियुक्ति और सेवा-शर्ते।

- (क) कार्यपालक निदेशक, संकायाध्यक्ष और उप-संकायाध्यक्ष के लिए शासक बोर्ड द्वारा;
 - (ख) अन्य मामलों में कार्यपालक निदेशक द्वारा,

की जाएंगी।

- (2) क्षेत्रीय केन्द्र के धारा 22 के खंड (vii) में निर्दिष्ट अधिकारियों से भिन्न कर्मचारियों की सेवा के निबंधन और शर्तें वे होंगी, जो परिनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट की जाएं।
- (3) शैक्षणिक कर्मचारिवृंद के सेवा के निबंधन और शर्तें, केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में उच्चतर शिक्षा और अनुसंधान में लगे ऐसे कर्मचारिवृंद के संगत होंगी।
- 36. बोर्ड, कार्यक्रम सलाहकार सिमिति, कार्यपालिका सिमिति या क्षेत्रीय केन्द्र द्वारा गठित अन्य बैठकें। सिमितियों की बैठकें, सदस्यों को अनिवार्यत: वास्तविक रूप से उपस्थित हुए बिना सूचना और संसूचना प्रौद्योगिकियों (जिसके अंतर्गत वीडियो कांफ्रेंसिंग भी है) के समसामियक यंत्रों का प्रयोग करके आयोजित की जा सकेंगी।
- 37. धारा 13 के अधीन प्राधिकरणों के (पदेन सदस्यों से भिन्न) सदस्यों में सभी आकस्मिक रिक्तियां यथाशीघ्र ऐसे व्यक्ति या निकाय द्वारा भरी जाएंगी जिसने उस सदस्य को जिसका स्थान रिक्त हुआ है, नियुक्त, निर्वाचित या सहयोजित किया था और आकस्मिक रिक्ति में नियुक्त, निर्वाचित या सहयोजित व्यक्ति ऐसे प्राधिकरण का सदस्य उस अवशिष्ट अविध के लिए होगा, जिसके दौरान वह व्यक्ति, जिसका स्थान वह भरता है, सदस्य रहता।

आकस्मिक रिक्तियों का भरा जाना।

38. क्षेत्रीय केन्द्र के किसी प्राधिकरण का कोई कार्य या कार्यवाही केवल इस कारण अविधिमान्य नहीं होगी कि उसके सदस्यों के बीच कोई रिक्ति या रिक्तियां हैं।

प्राधिकरण की कार्यवाहियों का रिक्तियों के कारण अविधिमान्य न होना।

39. इस अधिनियम या परिनियमों, अध्यादेशों या उसके अधीन बनाए गए विनियमों के किन्हीं उपबंधों के अधीन सद्भावपूर्वक की गई या की जाने के लिए आशयित किसी बात के लिए कोई भी वाद या अन्य विधिक कार्यवाही क्षेत्रीय केन्द्र के किसी अधिकारी या कर्मचारी के विरुद्ध नहीं होगी।

सद्भावपूर्वक की गई कार्रवाई के लिए संरक्षण।

- 40. क्षेत्रीय केन्द्र और उसके किन्हीं कर्मचारियों के मध्य उद्भूत किसी विवाद का प्रथमत: ऐसे माध्यस्थम्। शिकायत निवारण तंत्र द्वारा समाधान किया जाएगा जो परिनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए।
 - 41. (1) क्षेत्रीय केन्द्र के परिनियम शासक बोर्ड द्वारा विरचित किए जाएंगे।

परिनियम बनाने की शक्ति।

- (2) उपधारा (1) में अन्तर्विष्ट उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना कार्यपालिका समिति परिनियमों की विरचना के लिए बोर्ड को सिफारिश कर सकेगी।
- (3) इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन रहते हुए, परिनियमों में निम्नलिखित सभी या किन्हीं विषयों के लिए उपबंध किया जा सकेगा, अर्थात्:—
 - (क) धारा 10 की उपधारा (1) के खंड (ख) के अधीन समय-समय पर जैव प्रौद्योगिकी और संबंधित क्षेत्रों के विकास, विस्तार, कार्यान्वयन और विनियमन से संबंधित विनिर्दिष्ट मुद्दों पर जैव प्रौद्योगिकी में अल्पकालिक और दीर्घकालिक प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों का उपबंध करना;
 - (ख) धारा 10 की उपधारा (1) के खंड (घ) के अधीन सम्मानिक डिग्रियां या अन्य विद्या संबंधी सम्मान प्रदत्त करने की रीति:

- (ग) धारा 10 की उपधारा (1) के खंड (च) के अधीन भारत में किसी उच्चतर विद्या संस्था को मान्यता देने और ऐसी मान्यता वापस लेने के मानक;
- (घ) धारा 10 की उपधारा (1) के खंड (छ) के अधीन किसी अन्य संस्था में जिसके अंतर्गत ऐसी संस्थाएं भी हैं जो देश के बाहर अवस्थित हैं, कार्यरत व्यक्तियों की क्षेत्रीय केन्द्र के कर्मचारिवृंद के रूप में नियुक्ति की अविध;
- (ङ) धारा 10 की उपधारा (1) के खंड (ज) के अधीन प्रशासनिक, तकनीकी और अन्य पदों का सृजन करना;
- (च) धारा 10 की उपधारा (1) के खंड (झ) के अधीन किसी अन्य संस्था के साथ, जिसके अंतर्गत ऐसी संस्थाएं भी हैं जो देश के बाहर अवस्थित हैं; सहकार या सहयोग करने या सहयुक्त होने की रीति और प्रयोजन;
- (छ) धारा 10 की उपधारा (1) के खंड (अ) के अधीन भारत में और भारत के बाहर अनुसंधान, विकास और शिक्षा के लिए केन्द्रों और विशेषित प्रयोगशालाओं या अन्य इकाइयों की स्थापना करना;
- (ज) धारा 10 की उपधारा (1) के खंड (ट) के अधीन अध्येतावृत्तियां, छात्रवृत्तियां, अध्ययनवृत्तियां, पदक और पुरस्कार संस्थित करना और प्रदान करना;
- (झ) धारा 10 की उपधारा (1) के खंड (ठ) के अधीन अन्य संस्थाओं, औद्योगिक या अन्य संगठनों जिसके अंतर्गत वे भी हैं जो देश के बाहर अवस्थित हैं, के साथ अनुसंधान और सलाहकारी सेवाओं के लिए करार करने की रीति:
- (ञ) धारा 13 के खंड (vi) के अधीन अन्य प्राधिकरणों को क्षेत्रीय केन्द्र के प्राधिकरण होने के रूप में घोषित करना;
- (ट) धारा 14 की उपधारा (2) के खंड (घ) के अधीन यूनेस्को के सदस्य राज्यों में से प्रतिनिधियों की नियुक्ति की रीति;
- (ठ) वह समय और रीति जिसमें धारा 14 की उपधारा (5) के अधीन बोर्ड की बैठक की जाएगी;
 - (इ) धारा 14 की उपधारा (6) के अधीन बोर्ड के सदस्यों की पदाविध;
 - (ढ) धारा 16 की उपधारा (1) के अधीन अध्यक्ष की ऐसी अन्य शक्तियां और कृत्य;
- (ण) धारा 17 की उपधारा (4) के खंड (छ) के अधीन कार्यक्रम सलाहकार समिति के ऐसे अन्य कृत्य;
- (त) धारा 17 की उपधारा (5) के अधीन कार्यक्रम सलाहकार समिति के सदस्यों को संदेय फीसें और भत्ते तथा उनकी पदावधि:
- (थ) धारा 18 की उपधारा (2) के अधीन कार्यपालिका सिमिति का गठन, शिक्तयां और कृत्य तथा उसके सदस्यों की पदाविध;
- (द) धारा 19 की उपधारा (2) के अधीन वित्त सिमिति का गठन, शक्तियां और कृत्य तथा उसके सदस्यों की पदाविध;
- (ध) धारा 20 के अधीन अन्य प्राधिकरणों का गठन, शक्तियां और कृत्य तथा उसके सदस्यों की पदाविध;

- (न) धारा 21 के अधीन अध्ययन बोर्ड का गठन, शक्तियां और कृत्य तथा उसके सदस्यों की पदाविध:
- (Ψ) ऐसे अन्य अधिकारी, जिन्हें धारा 22 के खंड (Vii) के अधीन क्षेत्रीय केन्द्र का अधिकारी घोषित किया जाए:
- (फ) धारा 23 की उपधारा (1) के अधीन कार्यपालक निदेशक की नियुक्ति की रीति और उसके सेवा के निबन्धन और शर्ते;
- (ब) धारा 23 की उपधारा (2) के खंड (च) के अधीन कार्यपालक निदेशक की अन्य शक्तियां और कृत्य;
- (भ) बोर्ड द्वारा धारा 23 की उपधारा (3) के अधीन कार्यपालक निदेशक को प्रत्यायोजित वित्तीय शक्तियां;
- (म) धारा 24 के अधीन संकायाध्यक्ष और उपसंकायाध्यक्ष की नियुक्ति की रीति, सेवा के निबन्धन और शर्तें तथा शक्तियां और कर्तव्य;
- (य) धारा 25 की उपधारा (1) के अधीन सहयुक्त निदेशक (प्रशासन) की नियुक्ति की रीति तथा सेवा के निबन्धन और शर्तें तथा उपधारा (2) के अधीन उसकी शक्तियां और उसके द्वारा पालन किए जाने वाले कर्तव्य;
- (यक) धारा 26 के अधीन कुलसचिव की नियुक्ति की रीति, उसकी सेवा के निबन्धन और शर्तें तथा उसकी शक्तियां और कर्तव्य:
- (यख) धारा 27 के अधीन वित्त अधिकारी की नियुक्ति की रीति, उसके सेवा के निबन्धन और शर्तें तथा उसकी शक्तियां और कर्तव्य;
- (यग) धारा 28 के अधीन क्षेत्रीय केन्द्र के अन्य अधिकारियों की नियुक्ति की रीति, शक्तियां और कर्तव्य तथा उनकी सेवा के निबन्धन और शर्ते;
- (यघ) धारा 31 की उपधारा (1) के अधीन बोर्ड को क्षेत्रीय केन्द्र की वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करने का समय;
- (यङ) धारा 34 की उपधारा (3) के अधीन बोर्ड द्वारा क्षेत्रीय केन्द्र के प्रशासनिक और शैक्षणिक खंड के कार्यकरण का पुनर्विलोकन करने की रीति और आवृत्ति;
- (यच) धारा 35 की उपधारा (1) के अधीन क्षेत्रीय केन्द्र के कर्मचारियों की नियुक्ति की प्रक्रिया और उप-धारा (2) के अधीन उनकी सेवा के निबन्धन और शर्तें;
- (यछ) धारा 40 के अधीन क्षेत्रीय केन्द्र और उसके किन्हीं कर्मचारियों के बीच उद्भूत विवादों के समाधान के लिए शिकायत निवारण तंत्र;
 - (यज) धारा 43 के अधीन क्षेत्रीय केन्द्र के प्राधिकरणों द्वारा विनियम बनाने की रीति; और
- (यझ) कोई अन्य विषय जो इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए अपेक्षित या आवश्यक हो।
- **42.** (1) इस अधिनियम में यथा उपबंधाित के सिवाय, क्षेत्रीय केन्द्र के अध्यादेश, कार्यक्रम अध्यादेश बनाने की सलाहकार सिमिति द्वारा बनाए जाएंगे।
- (2) इस अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए परिनियमों के उपबंधों के अधीन रहते हुए क्षेत्रीय केन्द्र के अध्यादेशों में निम्नलिखित सभी या किन्हीं विपियों के लिए उपबंध किए जा सकेंगे, अर्थात:—
 - (क) भारत में से और क्षेत्रीय केन्द्र के क्षेत्र से छात्रों का प्रवेश और उस रूप में उनका नाम दर्ज किया जाना :
 - (ख) पाठ्यक्रम ;

- (ग) वे शर्तें जिनके अधीन छात्रों को क्षेत्रीय केन्द्र की परीक्षाओं के लिए प्रवेश दिया जाएगा और वे डिग्री, डिप्लोमा और प्रमाणपत्रों के लिए पात्र होंगे:
- (घ) अध्येतावृत्तियां, छात्रवृत्तियां, पदक और पुरस्कार प्रदान किए जाने की शर्ते :
- (ङ) परीक्षा निकायों, परीक्षकों और अनुसीमकों की नियुक्ति की शर्तें और रीति, पदाविध तथा उनके कर्तव्य ;
 - (च) परीक्षाओं का संचालन;
 - (छ) क्षेत्रीय केन्द्र के छात्रों के निवास की शर्ते;
 - (ज) कर्मचारियों और छात्रों के बीच अनुशासन बनाए रखना ;
- (झ) क्षेत्रीय केन्द्र की सभी डिग्रियों, डिप्लोमाओं और प्रमाणपत्रों के लिए पाठ्यक्रम जिसके अन्तर्गत शिक्षण और परीक्षा का माध्यम भी है, अधिकथित करना;
- (ञ) डिग्रियों और अन्य विद्या संबंधी उपाधियों का प्रदान किया जाना और उन्हें प्रदान करने और अभिप्राप्त करने की रीति :
- (ट) डिग्रियों, डिप्लोमाओं, प्रमाणपत्रों और अन्य विद्या संबंधाी उपाधायों का वापस लिया जाना :
- (ठ) क्षेत्रीय केन्द्र के पाठ्यक्रमों के लिए और परीक्षाओं में प्रवेश, डिग्रियों और डिप्लोमाओं के लिए प्रभारित फीस;
- (ड) छात्राओं के निवास और अध्यापन के लिए किए जाने वाले विशे∏ प्रबंध, यदि कोई हों, और उनके लिए विशे∏ पाठ्यक्रम विहित करना ;
- (ढ) अध्ययन केन्द्रों, विद्यालयों, विभागों, विशेपित प्रयोगशालाओं, छात्र निवासों और संस्थाओं की स्थापना, प्रबंध, मान्यता और उत्सादन; और
- (ण) कोई अन्य विधिय जो इस अधिनियम या परिनियमों के अनुसार अध्यादेशों द्वारा उपबंधित किए जाने हैं या किए जाएं ।

विनियम।

43. क्षेत्रीय केन्द्र के प्राधिकरण, स्वयं अपने और अपने द्वारा नियुक्त की गई समितियों के, यदि कोई हों, कार्य संचालन के लिए, जिसका इस अधिनियम, परिनियमों या अध्यादेशों द्वारा उपबंध नहीं किया गया है, परिनियमों द्वारा विहित रीति से ऐसे विनियम बना सकेंगे जो इस अधिनियम, परिनियमों और अध्यादेशों के उपबन्धों से संगत हों।

परिनियमों, अध्यादेश श्र और विनियमों का राजपत्र में प्रकाशित किया जाना और संसद् के समक्ष रखा जाना।

- परिनियमों, अध्यादेश**la 44.** (1) इस अधिनियम के अधीन बनाया गया प्रत्येक परिनियम, अध्यादेश या और विनियमों का विनियम, राजपत्र में प्रकाशित किया जाएगा ।
 - (2) इस अधिनियम के अधीन बनाया गया प्रत्येक परिनियम या अध्यादेश या विनियम बनाए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र, संसद् के समक्ष, जब वह सत्र में हो, कुल तीस दिन की अवधि के लिए रखा जाएगा । यह अवधि एक सत्र में अथवा दो या अधिक आनुक्रमिक सत्रों में पूरी हो सकेगी । यदि उस सत्र के या पूर्वोक्त आनुक्रमिक सत्रों के ठीक बाद के सत्र के अवसान के पूर्व दोनों सदन उस परिनियम या अध्यादेश या विनियम में कोई परिवर्तन करने के लिए सहमत हो जाएं, तो तत्पश्चात् वह परिनियम या अध्यादेश या विनियम ऐसे परिवर्तित रूप में ही प्रभावी होगा । यदि उक्त अवसान के पूर्व दोनों सदन सहमत हो जाएं कि वह परिनियम या अध्यादेश या विनियम नहीं बनाया जाना चाहिए तो तत्पश्चात् वह परिनियम या अध्यादेश या विनियम निष्मिभाव हो जाएगा । तथापि, परिनियम या अध्यादेश

या विनियम के ऐसे परिवर्तित या निप्रिभाव होने से उसके अधीन पहले की गई किसी बात की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

45. यथास्थिति, धाारा 41 या धाारा 42 या धाारा 43 के अधीन परिनियम या अध्यादेश या विनियम बनाने की शक्ति के अन्तर्गत परिनियमों, अध्यादेशों या विनियमों या उनमें से किसी को उस तारीख से, जो इस अधिनियम के प्रारंभ की तारीख से पूर्वतर न हों, भूतलक्षी प्रभाव देने की शक्ति भी होगी किन्तु किसी परिनियम या अध्यादेश या विनियम को भूतलक्षी प्रभाव इस प्रकार नहीं दिया जाएगा जिससे कि किसी ऐसे व्यक्ति के, जिसको ऐसा परिनियम या अध्यादेश या विनियम लागू हो, हितों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़े ।

भृतलक्षी परिनियम या अध्यादेश या विनियम बनाने की

46. (1) यदि इस अधिनियम के उपबंधों को प्रभावी करने में कोई कठिनाई उत्पन्न कठिनाइयों को दूर होती है तो केंद्रीय सरकार, राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा, ऐसे उपबंध कर सकेगी जो इस अधिनियम के उपबंधों से असंगत न हों, और जो कठिनाई दूर करने के लिए उसे आवश्यक या समीचीन प्रतीत हों:

करने की शक्ति ।

परंत् इस धारा के अधीन ऐसा कोई आदेश इस अधिनियम के प्रारंभ से दो वि की समाप्ति के पश्चात् नहीं किया जाएगा ।

(2) इस धारा के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश किए जाने के पश्चात्, यथाशीघ्र, संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष रखा जाएगा ।



EXTRAORDINARY

भाग II — खण्ड 1

PART II — Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं॰ 43]

नई दिल्ली, शनिवार, जुलाई 30, 2016/श्रावण 8, 1938 (शक)

No. 43] NEW DELHI, SATURDAY, JULY 30, 2016/SHRAVANA 8, 1938 (SAKA)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके। Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

MINISTRY OF LAW AND JUSTICE

(Legislative Department)

New Delhi, the 30th July, 2016/Shravana 8, 1938 (Saka)

The following Act of Parliament received the assent of the President on the 29th July, 2016, and is hereby published for general information:—

THE REGIONAL CENTRE FOR BIOTECHNOLOGY ACT, 2016

No. 36 of 2016

[29th July, 2016.]

An Act to provide for the establishment of an institution of national importance to be known as Regional Centre for Biotechnology and to provide for matters connected therewith or incidental thereto.

Whereas an agreement for the establishment and operation of the Regional Centre for Biotechnology Training and Education in India was entered into between the Government of India and the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organisation on the 14th day of July, 2006;

And whereas in pursuance of the said agreement, the Central Government through an executive order dated the 20th April, 2009, established the Regional Centre for Biotechnology Training and Education at Faridabad, Haryana;

And whereas it is expedient to make provisions for strengthening and to make the Regional Centre for Biotechnology an institution of national importance for imparting education, training and conducting research in the areas of Biotechnology and related multi disciplinary areas.

 $\ensuremath{\mathsf{BE}}$ it enacted by Parliament in the Sixty-seventh Year of the Republic of India as follows:—

- **1.** (1) This Act may be called the Regional Centre for Biotechnology Act, 2016.
- (2) It shall come into force on such date as the Central Government may, by notification in the Official Gazette, appoint.

Short title and commencement.

Definitions.

- 2. In this Act, unless the context otherwise requires,—
- (a) "academic staff" means Assistant Professors, Associate Professors, Professors, Deans, Sub-Deans, Executive Director and such other persons, including Visiting Professors, Professors of Eminence, Honorary Professors, Adjunct Professors and Emeritus Professors, as may be appointed or engaged for imparting education, training or conducting research in the Regional Centre for Biotechnology;
 - (b) "Board" means the Board of Governors constituted under section 14;
- (c) "Board of Studies" means the Board of Studies of the Regional Centre referred to in section 21;
 - (d) "Chairperson" means the Chairperson of the Board;
- (e) "employee" means any person appointed by the Regional Centre and includes officers, academic and other staff of the Regional Centre;
- (f) "Executive Committee" means the Executive Committee of the Regional Centre constituted under section 18;
- (g) "Executive Director" means the Executive Director of the Regional Centre appointed under sub-section (1) of section 23;
- (h) "existing Regional Centre" means the Regional Centre for Biotechnology Training and Education at National Capital Region, Faridabad;
- (i) "hall" means a unit of residence, by whatever name called, for the students of the Regional Centre, maintained or recognised by it;
- (*j*) "institution" includes autonomous organisations within or outside India, for imparting education, training and conducting research in the areas of Biotechnology and supported by the Government of India or industry or universities or other organisations;
- (*k*) "Ordinances" means the Ordinances framed by the Programme Advisory Committee under section 42;
- (1) "Programme Advisory Committee" means the Programme Advisory Committee of the Regional Centre constituted under section 17;
- (m) "region" means the region comprising the territories of South Asian Association for Regional Co-operation (SAARC) States and generally the Asia region;
- (n) "Regional Centre" means the Regional Centre for Biotechnology established under section 3;
- (o) "Regulations" means the Regulations made by any authority of the Regional Centre under section 43;
 - (p) "Statutes" means the Statutes framed by the Board under section 41;
- (q) "UNESCO" means the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organisation.
- **3.** (1) The Regional Centre for Biotechnology Training and Education at National Capital Region, Faridabad, Haryana functioning under the Department of Biotechnology, Ministry of Science and Technology is hereby established as a body corporate by the name of "Regional Centre for Biotechnology" having perpetual succession and a common seal with power, subject to the provisions of this Act, to contract and shall, by the said name, sue or be sued.
- (2) The Regional Centre shall consist of a Board of Governors and authorities specified in section 13.

Establishment and incorporation of Regional Centre for Biotechnology.

- (3) The headquarters of the Regional Centre shall be at its campus in the National Capital Region, Faridabad.
- **4.** Whereas the objects of the institution known as the Regional Centre for Biotechnology are such as to make the institution one of national importance, it is hereby declared that the institution known as the Regional Centre for Biotechnology is an institution of national importance.

Declaration of Regional Centre for Biotechnology as an institution of national importance.

5. (1) On and from the date of commencement of this Act,—

Effect of establishment of Regional Centre.

- (a) any reference to the existing Regional Centre in any law, other than this Act, or in any contract or other instrument, shall be deemed as a reference to the Regional Centre:
- (b) all properties and assets, movable and immovable, of, or belonging to the existing Regional Centre shall vest in the Regional Centre;
- (c) all rights and liabilities of the existing Regional Centre shall be transferred to, and be the rights and liabilities of, the Regional Centre;
- (*d*) without prejudice to the provisions of clause (*c*), all debts, obligations and liabilities incurred, all contracts entered into and all matters and things engaged to be done by, with or for, the existing Regional Centre immediately before the said date, for or in connection with the purposes of the said Regional Centre shall be deemed to have incurred, entered into or engaged to be done by, with or for, the Regional Centre;
- (e) all sums of money due to the existing Regional Centre immediately before that date shall be deemed to be due to the Regional Centre;
- (f) all suits and other legal proceedings instituted or which could have been instituted by or against the existing Regional Centre immediately before that date may be continued or may be instituted by or against the Regional Centre;
- (g) every employee (including those appointed for imparting instruction or giving training or conducting research in the existing Regional Centre), holding any office under the existing Regional Centre or teaching therein immediately before the commencement of this Act shall hold his office in the Regional Centre or continue teaching therein by the same tenure and upon the same terms and conditions of service as respects remuneration, leave, provident fund, retirement and other terminal benefits as he would have held such office if this Act had not been enacted and shall continue to do so as an employee of the Regional Centre or until the expiry of the period of six months from that date if such employee opts not to be the employee of the Regional Centre within such period.

14 of 1947.

- (2) Notwithstanding anything in the Industrial Disputes Act, 1947 or in any other law for the time being in force, absorption of any employee by the Regional Centre in its regular service under this section shall not entitle such employee to any compensation under that Act or any other law and no such claim shall be entertained by any court, tribunal or other authority.
- **6.** The jurisdiction of the Regional Centre shall extend to whole of India and to such centres and specialised laboratories or other units for research, development and instruction, established by the Regional Centre within or outside India.

7. The objectives of the Regional Centre shall be—

(a) to disseminate and to advance knowledge by providing instructional and research facilities in such branches of biotechnology and related fields as it may deem fit including technology policy development;

Juris diction.

Objectives of Regional Centre.

- (b) to provide capacity-building through education, training, research and development in biotechnology and related academic fields for sustainable development objectives through regional and international cooperation;
- (c) to facilitate transfer of knowledge and technology relating to biotechnology at the regional level;
- (d) to create a hub of biotechnology expertise and to address human resources needs in the countries in the region;
- (e) to promote and strengthen international co-operation to improve the social and economic conditions and welfare of the people;
- (f) to promote and facilitate a network of satellite centres in the region as well as within India.
- 8. The functions of the Regional Centre, shall be—
- (a) to establish infrastructure and technology platforms which are directly relevant to biotechnology education, training and research;
- (b) to execute educational and training activities including grant of degrees in education and research in biotechnology and related fields;
- (c) to produce human resource tailored to drive innovation in biotechnology, particularly in areas of new opportunities and to fill talent gap in deficient areas;
- (d) to undertake research and development and scientific investigations in collaboration with relevant research centre's in the region;
- (e) to hold scientific symposia and conferences within India or in the region or outside the region and to conduct short-term and long-term training courses and workshops in all areas of biotechnology;
- (f) to collect universally available information with a view to setting up data banks for bio-information:
- (g) to collect and disseminate, through networking, the relevant local knowledge in the field of biotechnology, ensuring protection of intellectual property rights of local stakeholder communities;
- (h) to develop and implement a policy for intellectual property rights which is equitable and just to the stakeholders involved in research in the Regional Centre;
- (i) to disseminate the outcome of research activities in different countries through the publication of books and articles;
- (*j*) to promote collaborative research and development networking programme in specific areas of biotechnology with national, regional and international networks and promote exchange of scientists, at the regional level having regard to issues pertaining to intellectual property rights of collaborating institutions promoting equitable sharing of benefits with collaborating institutions.
- **9.** The Regional Centre shall pursue its objects and discharge its functions in close collaboration with other national, regional and international institutions of the UNESCO.

Regional Centre to work in collaboration with other institutions of UNESCO. Powers of Regional Centre.

Functions of

Regional

Centre.

- **10.** (1) The Regional Centre shall have the following powers, namely:—
- (a) to provide for masters degree (including integrated programmes leading to masters degree), post-graduate diploma and doctoral degrees in biotechnology and related subjects at the interface of varied disciplines including physical, chemical,

biological, medical, agricultural and engineering and other relevant sciences, as may be determined by the Regional Centre, from time to time;

- (b) to provide for short-term and long-term training courses in biotechnology on specific issues related to the development, extension, implementation and regulation of biotechnology and related areas, as may be specified by Statutes, from time to time;
- (c) to organise and undertake extramural studies, training and extension services in biotechnology;
- (d) to confer honorary degrees or other academic distinctions referred to in clause (a), in the manner specified by the Statutes;
- (e) to institute Professorships, Associate Professorships, Assistant Professorships and other academic positions required by the Regional Centre and to appoint persons to such Professorships, Associate Professorships, Assistant Professorships or other academic positions;
- (f) to recognise an institution of higher learning within India for the purposes of this Act and to withdraw such recognition in accordance with the norms laid down in the Statutes;
- (g) to appoint persons working in any other institution, including those located outside the country, as academic staff of the Regional Centre for such period as may be specified by the Statutes;
- (h) to create administrative, technical and other posts and to make appointments thereto, as may be specified by Statutes;
- (i) to co-operate or collaborate or associate with any institution, including those located outside the country, in such manner as may be specified and for such purposes as may be determined or agreed upon by the Regional Centre;
- (j) to establish and maintain centres and specialised laboratories or other units for research, development and instruction in India or outside India, as may be determined by the Statutes from time to time;
- (k) to institute and award fellowships, scholarships, studentships, medals and prizes as may be specified by the Statutes;
- (*l*) to make provision for research and advisory services and for that purpose to enter into such agreements with other institutions, industrial or other organisations, including those located outside the country as may be specified by the Statutes;
- (m) to organise and conduct refresher courses, workshops, seminars and other programmes for teachers, evaluators and other stakeholders;
- (n) to appoint visiting Professors, Professors of Eminence, Honorary Professors, Adjunct Professors, Emeritus Professors, Consultants and such other persons who may contribute to the advancement and objects of the Regional Centre;
- (*o*) to determine standards of admission to the Regional Centre, including examination, evaluation or any other method of testing;
 - (p) to fix, demand and receive payment of fees and other charges;
- (q) to establish, recognise, maintain and manage halls or residences of students of the Regional Centre and other accommodation for students and to withdraw any such recognition;
- (r) to lay down conditions of service of all categories of employees, including their code of conduct;

- (s) to regulate and enforce discipline among the students and the employees, and to take such disciplinary measures in this regard as may be deemed by the Regional Centre to be necessary;
- (t) to make arrangements for promoting the health and general welfare of the students and employees of the Regional Centre;
- (*u*) to receive benefactions, donations and gifts and to acquire, hold and manage, and dispose of, with the prior approval of the Central Government, any property, movable or immovable, including trust and endowment properties, for the purposes or objectives of the Regional Centre;
- (v) to borrow money, with the prior approval of the Central Government on the security of the property of the Regional Centre; and
- (w) to do all such other acts and things as may be necessary in furtherance of the objects specified in section 7.
- (2) In exercising its powers under sub-section (1), it shall be the endeavour of the Regional Centre to maintain high standards of education, training and research and the Regional Centre shall, among other measures which may be necessary for the said purpose, take, in particular, the following measures, namely:—
 - (a) conduct innovative courses and programmes of studies with a provision for periodic review and restructuring; and
 - (b) promote e-governance with an effective management information system.

Regional Centre open to all castes, creed, race or class. 11. The Regional Centre or any institution recognised by it shall be open to persons of either sex and whatever caste, creed, race, ethnicity, nationality or class, and it shall not be lawful for the Regional Centre or such institution to adopt or impose on any person, any test whatsoever of religious belief or profession in order to entitle him to be appointed as a member of the academic staff of the Regional Centre or such institution or to hold any other office therein or to be admitted as a student in the Regional Centre or such institution or to enjoy or exercise any privilege thereof.

Privileges and immunities of Regional Centre.

12. The Regional Centre or persons attending the meetings of the Regional Centre shall enjoy such privileges and immunities as the Central Government may grant, pursuant to agreement entered into between the UNESCO and the Government of India from time to time concerning the Regional Centre.

Authorities of Regional Centre.

- 13. The following shall be the authorities of the Regional Centre, namely:—
 - (i) the Board of Governors;
 - (ii) the Programme Advisory Committee;
 - (iii) the Executive Committee;
 - (iv) the Finance Committee;
 - (v) the Board of Studies; and
- (vi) such other authorities as may be declared by the Statutes to be the authorities of the Regional Centre.

Board of Governors.

- **14.** (1) There shall be a Board of Governors which shall be responsible for the governance of the Regional Centre.
- (2) The Board shall be the apex body of the Regional Centre and shall consist of the following members, namely:—
 - (a) Secretary to the Government of India in the Ministry of Science and Technology, Department of Biotechnology—ex officio Chairperson;

- (b) three eminent scientists in the relevant field not below the rank of Joint Secretary to the Government of India or equivalent, out of whom at least one shall be a woman, to be nominated by the Central Government—ex officio members;
 - (c) a representative of the Director-General of UNESCO;
- (d) two representatives from amongst the other member States of UNESCO, who substantially contribute resources to the running of the Regional Centre, in such manner as may be specified by the Statutes—members.
- (3) The Chairperson of the Programme Advisory Committee shall be a permanent invitee of the Board.
- (4) The Executive Director of the Regional Centre shall be the Convenor of the meetings of the Board.
 - (5) The Chairperson shall ordinarily preside over the meetings of the Board.
- (6) The Board shall meet at least once in a year and at such times as the Chairperson may decide in such manner as may be specified by the Statutes.
- (7) The term of office of the members of the Board, other than *ex officio* members, shall be such as may be specified by the Statutes.
- (8) Subject to the provisions of this Act and the Statutes and the Ordinances made thereunder, the Board may regulate its own procedure (including quorum) for the conduct of meetings and transacting business.
- **15.** Subject to the provisions of this Act, the Board shall have the following powers and functions, namely:—

Powers and functions of Board.

- (a) to approve the annual plan and budget of the Regional Centre;
- (b) to review, from time to time, the broad policies and programmes of the Regional Centre, and to suggest measures for the improvement and development of the Regional Centre;
- (c) to consider the annual report and the annual accounts of the Regional Centre and the audit report on such accounts;
- (*d*) to study and approve the internal procedures, including financial procedure and staff regulations of the Regional Centre;
- (e) to approve the organisational structure and number of academic staff and other employees at the Regional Centre;
- (f) to convene special consultative sessions of its members, to which it may invite representatives of other interested countries and international organisations in order to obtain proposals for strengthening the scope of services of the Regional Centre;
- (g) to carry out projects and activities relevant to the Regional Centre, and to expand the fund-raising strategy and capabilities; and
 - (h) to frame the Statutes.
- $16. \ (I)$ The Chairperson shall exercise such powers and discharge such functions as may be delegated to him by the Board or as may be specified by the Statutes.

Powers and functions of Chairperson.

- (2) If for any reason, the Chairperson is unable to attend any meeting of the Board, any member of the Board nominated by the Chairperson shall preside over the meeting.
- **17.** (1) The Programme Advisory Committee shall be the principal academic body of the Regional Centre and shall, subject to the provisions of this Act, advice planning, execution, review and monitoring of the scientific and academic programmes of the Regional Centre.

Programme Advisory Committee.

- (2) The Programme Advisory Committee shall consist of the following members, namely:—
 - (a) a Chairperson of the Programme Advisory Committee to be nominated by the Board:
 - (b) two members to be nominated by the UNESCO;
 - (c) three members to be nominated by rotation, from amongst the member States of UNESCO which provide maximum financial assistance;
 - (d) two members having expertise and experience in biotechnology policy and legal matters to be nominated by the Central Government;
 - (e) six members from amongst the persons being renowned scientist or academician, to be nominated by the Board.
- (3) The Executive Director shall be the Member-Secretary, ex officio, to the Programme Advisory Committee.
 - (4) The Programme Advisory Committee shall be responsible for—
 - (a) making recommendations on matters of planning and coordinating of the education, training and research activities;
 - (b) recommending modifications or revision of education, training and research programmes of the Regional Centre and submitting reports thereon;
 - (c) reviewing annually the programmes of the Regional Centre, evaluating its progress and submitting the reports thereon;
 - (d) publishing reports on any matter concerning scientific and technical issues referred to it by the Board or by the Executive Director;
 - (e) performing all such duties and to do all such acts as may be necessary for furtherance of education, training and research under this Act;
 - (f) framing the Ordinances; and
 - (g) performing such other functions as may be specified by the Statutes.
- (5) The fees and allowances payable to members of the Programme Advisory Committee and their term of office shall be such as may be specified by the Statutes.
- (6) Subject to the provisions of this Act and the Statutes and Ordinances made thereunder, the Programme Advisory Committee may regulate its own procedure (including quorum) for the conduct of meetings and transacting of its business:

Provided that the Programme Advisory Committee shall place the minutes of its meetings before the Board of Governors.

Executive Committee.

- **18.** (1) The Executive Committee shall be responsible for management of the Regional Centre and implementation of policies and decisions of the Board relating to management.
- (2) The constitution, powers and functions of the Executive Committee and the term of office of its members shall be such as may be specified by the Statutes.

Finance Committee.

- **19.** (1) The Finance Committee shall review finances, consider the annual budget estimates, the statements of accounts and the audit reports and make recommendations thereon, to the Board.
- (2) The constitution, powers and functions of the Finance Committee and the term of office of its members shall be such as may be specified by the Statutes.

20. The constitution, powers and functions of other authorities referred to in clause (vi) of section 13, and the term of office of its members shall be such as may be specified by the Statutes.

Other authorities of Regional Centre.

21. The constitution, powers and functions of the Board of Studies and the term of office of its members shall be such as may be specified by the Statutes.

Board of Studies.

- 22. The following shall be the officers of the Regional Centre, namely:—
- Officers of Regional

Centre.

- (i) Executive Director;
- (ii) Deans;
- (iii) Sub-Deans;
- (iv) Associate Director (Administration);
- (v) Registrar;
- (vi) Finance Officer; and
- (vii) such other officers as may be declared by the Statutes to be the officers of the Regional Centre.
- **23.** (1) The Executive Director shall be appointed on the recommendation of the Board in such manner and on such terms and conditions of service, as may be specified by the Statutes.

Executive Director.

- (2) The Executive Director shall—
 - (a) be the principal executive and academic officer of the Regional Centre;
- (b) direct the work of the Regional Centre in conformity with the programmes and directives established by the Board;
 - (c) propose the draft work plan and budget to be submitted to the Board;
 - (d) prepare the agenda for the sessions of the Board;
- (e) prepare reports on the Regional Centre's activities for submission to the Board; and
- (f) exercise such other powers and perform such other functions as may be specified by the Statutes.
- (3) The financial powers delegated to the Executive Director by the Board shall be such as may be specified by the Statutes.
- (4) The Executive Director may, if he is of the opinion that immediate action is necessary on any matter, exercise any power conferred on any authority of the Regional Centre by or under this Act and shall report to such authority at its next meeting the action taken by him on such matter.
- **24.** The Deans and Sub-Deans shall be appointed in such manner and on such terms and conditions of service, and shall exercise such powers and perform such duties, as may be specified by the Statutes.

Deans and Sub-Deans.

Associate Director

- **25.** (1) The Associate Director (Administration) shall be appointed in such manner, and on such terms and conditions of service, as may be specified by the Statutes.
 - (Administration).
- (2) The Associate Director (Administration) shall have the power to enter into agreements, sign documents and authenticate records on behalf of the Regional Centre and shall exercise such powers and perform such duties, as may be specified by the Statutes.

Registrar.

26. The Registrar shall be appointed in such manner and on such terms and conditions of service and shall exercise such powers and perform such duties, as may be specified by the Statutes.

Finance officer.

27. The Finance officer shall be appointed in such manner and on such terms and conditions of service and shall exercise such powers and perform such duties, as may be specified by the Statutes.

Other officers.

28. The manner of appointment and powers and duties and terms and conditions of service of other officers of the Regional Centre, referred to in clause (vii) of section 22, shall be such as may be specified by the Statutes.

Grants and loans to Regional Centre.

29. The Central Government may, after due appropriation made by Parliament by law, in this behalf, make to the Regional Centre grants and loans of such sums of money and in such manner as that Government may consider necessary for being utilised for the fulfilment of the objects and purposes of this Act.

Fund of Regional Centre.

- **30.** (1) The Regional Centre shall maintain a Fund to which shall be credited—
 - (a) all moneys provided by the Central Government;
 - (b) all fees and other charges received by the Regional Centre;
- (c) all moneys received by the Regional Centre by way of grants, gifts, donations, benefactions, bequests or transfers; and
- (d) all moneys received by the Regional Centre in any other manner or from any other source.
- (2) All moneys credited to the Fund shall be deposited in such banks or invested in such manner as the Regional Centre may, with the approval of the Central Government, decide.
 - (3) The fund shall be applied for meeting—
 - (a) the fees and allowances payable to the Chairperson and members of the Board or Chairperson of the Programme Advisory Committee and members of the other committees and the salaries, allowances and other remunerations payable to the academic staff, officers and other employees of the Regional Centre;
 - (b) the expenses of the Regional Centre in the discharge of its functions and for the fulfilment of its objects and for purposes as envisaged under this Act.

Annual report.

- 31. (I) The annual report of the Regional Centre shall be prepared under the directions of the Executive Director, which shall include, among other matters, the steps taken by the Regional Centre towards the fulfilment of its objectives and shall be submitted to the Board on or before such date as may be specified by the Statutes and the Board shall consider the report in its annual meeting.
- (2) A copy of the annual report, as prepared under sub-section (1), shall be submitted to the Central Government, which shall, as soon as may be, cause the same to be laid before both Houses of Parliament.

Annual accounts.

- **32.** (1) The annual accounts and the balance sheet of the Regional Centre shall be prepared under the directions of the Board and shall, once at least every year, and at intervals of not more than fifteen months, be audited by the Comptroller and Auditor-General of India.
- (2) A copy of the accounts together with the audit report shall be submitted to the Central Government along with the observations, if any, of the Board.
- (3) A copy of the annual report and annual accounts together with the audit report, shall be submitted to the Central Government which shall, as soon as may be, cause the same to be laid before each House of Parliament.

- (4) The audited annual accounts, after having been laid before both Houses of Parliament, shall be published in the Official Gazette.
- **33.** The Regional Centre shall furnish to the Central Government such returns or other information with respect to its property or activities as the Central Government may, from time to time, require, within such period as may be specified by the Central Government.

Returns and information.

34. (1) There shall be a review of the functioning of the Regional Centre once in every four years by persons of eminence to be appointed by the Central Government.

Review of functioning of Regional Centre.

- (2) The Regional Centre shall meet the expenses for conducting the review under sub-section (I) and upon receipt of the report of such review, the Board may take appropriate action.
- (3) In addition to the review under sub-section (1), the Board may conduct review of functioning of administrative and academic wings of the Regional Centre, in such manner and at such intervals, as may be specified by the Statutes.
- **35.**(1) All appointments of employees of the Regional Centre shall be made in accordance with the procedure laid down in the Statutes, by—
 - (a) the Board of Governors for the Executive Director, Deans and Sub-Deans;
 - (b) the Executive Director, in any other case.

Appointment and conditions of service of employees of Regional Centre.

- (2) The terms and conditions of service of the employees of the Regional Centre, other than the officers referred to in clause (*vii*) of section 22, shall be such as may be specified by the Statutes.
- (3) The terms and conditions of service of the academic staff shall be consistent with such staff engaged in higher education and research at Central Universities.
- **36.** The meetings of the Board, Programme Advisory Committee, Executive Committee or other committees constituted by the Regional Centre may be held using contemporary tools of information and communication technologies (including video conferencing) without the members necessarily having to be physically present.

Meetings.

37. All casual vacancies among the members (other than *ex officio* members) of the authorities under section 13 shall be filled, as soon as may be, by the person or body who appoints, elects or co-opts the member whose place has become vacant and the person appointed, elected or co-opted to a casual vacancy shall be a member of such authority for the residue of the term for which the person whose place he fills would have been a member.

Filling of casual vacancies.

38. No act or proceedings of any authority of the Regional Centre shall be invalid merely by reason of the existence of a vacancy or vacancies among its members.

Proceedings of authorities not invalidated by vacancies.

39. No suit or other legal proceedings shall lie against any officer or employee of the Regional Centre for anything which is in good faith done or intended to be done in pursuance of any of the provisions of this Act or the Statutes, Ordinances or the Regulations made thereunder.

Protection of action taken in good faith.

40. Any dispute arising between the Regional Centre and any of its employees shall, at the first instance, be resolved through such grievance redressal mechanism as may be specified by the Statutes.

Arbitration.

41. (I) The Statutes of the Regional Centre shall be framed by the Board of Governors.

Power to make Statutes.

(2) Without prejudice to the provisions contained in sub-section (1), the Executive Committee may make recommendations for framing of Statutes to the Board.

- (3) Subject to the provisions of this Act, the Statutes may provide for all or any of the following matters, namely:—
 - (a) to provide for short-term and long-term training courses in biotechnology on specific issues related to the development, extension, implementation and regulation of biotechnology and related areas, from time to time under clause (b) of sub-section (I) of section 10;
 - (b) the manner of conferring honorary degrees or other distinctions under clause (d) of sub-section (1) of section 10;
 - (c) the norms for recognition of an institution of higher learning within India and to withdraw such recognition under clause (f) of sub-section (1) of section 10;
 - (d) period for appointment of persons working in any other institution, including those located outside the country, as academic staff of the Regional Centre under clause (g) of sub-section (1) of section (1);
 - (e) to create administrative, technical and other posts under clause (h) of sub-section (1) of section 10;
 - (f) the manner and purposes of co-operation or collaboration or association with any institution, including those located outside the country, under clause (i) of sub-section (1) of section (1);
 - (g) to establish and maintain centres and specialised laboratories or other units for research, development and instruction in India or outside India, clause (j) of sub-section (I) of section (I) of section (I)
 - (h) to institute and award fellowships, scholarships, studentships, medals and prizes, under clause (k) of sub-section (l) of section 10;
 - (i) the manner of entering into agreements with other institutions, industrial or other organisations, including those located outside the country, for research and advisory services under clause (l) of sub-section (l) of section 10;
 - (*j*) to declare other authorities to be the authorities of the Regional Centre under clause (*vi*) of section 13;
 - (k) the manner of appointment of representatives from amongst the member States of UNESCO, under clause (d) of sub-section (2) of section 14;
 - (*l*) the time and manner in which the Board shall meet under sub-section (5) of section 14;
 - (m) the term of office of the members of the Board, under sub-section (6) of section 14;
 - (n) such other powers and functions of the Chairperson under sub-section (1) of section 16;
 - (0) such other functions of the Programme Advisory Committee under clause (g) of sub-section (4) of section 17;
 - (p) the fees and allowances payable to members of the Programme Advisory Committee and their term of office under sub-section (5) of section 17;
 - (q) the constitution, powers and functions and the term of office of members of the Executive Committee under sub-section (2) of section 18;
 - (r) the constitution, powers and functions and term of office of members of the Finance Committee under sub-section (2) of section 19;
 - (s) the constitution, powers and functions and term of office of members of other authorities under section 20;

- (t) the constitution, powers and functions and term of office of members of the Board of Studies under section 21;
- (u) the other officers as may be declared to be the officers of the Regional Centre under clause (vii) of section 22;
- (v) the manner of appointment and terms and conditions of service of the Executive Director under sub-section (1) of section 23;
- (w) the other powers and functions of the Executive Director under clause (f) of sub-section (2) of section 23;
- (x) the financial powers to be delegated to the Executive Director by the Board under sub-section (3) of section 23;
- (y) the manner of appointment, terms and conditions of service and powers and duties of the Deans and Sub-Deans under section 24;
- (z) the manner of appointment and terms and conditions of service of the Associate Director (Administration) under sub-section (1) and powers and duties to be performed by him under sub-section (2) of section 25;
- (za) the manner of appointment, terms and conditions of service and powers and duties of the Registrar under section 26;
- (*zb*) the manner of appointment, terms and conditions of service and powers and duties of the Finance officer under section 27;
- (zc) the manner of appointment, powers and duties and terms and conditions of service of other officers of the Regional Centre under section 28;
- (*zd*) the time for submission of the annual report of the Regional Centre to the Board under sub-section (*1*) of section 31;
- (ze) the manner and frequency of conducting review of the functioning of administrative and academic wings of the Regional Centre by the Board under sub-section (3) of section 34;
- (zf) the procedure for appointment of employees of the Regional Centre under sub-section (I) and their terms and conditions of service under sub-section (2) of section 35;
- (zg) the grievance redressal mechanism for resolution of disputes arising between the Regional Centre and any of its employees under section 40;
- (zh) the manner of making regulations by the authorities of the Regional Centre under section 43; and
- (zi) any other matter which may be required or necessary for the purposes of this Act.
- **42.** (1) Save as otherwise provided in this Act, the Ordinances of the Regional Centre shall be made by the Programme Advisory Committee.

Power to make Ordinances.

- (2) Subject to the provisions of this Act and the Statutes made thereunder, the Ordinances of the Regional Centre may provide for all or any of the following matters, namely:—
 - (a) admission of students from within India and from the region to the Regional Centre and their enrolment as such;
 - (b) the course of study;

- (c) the conditions under which students shall be admitted to the examinations of the Regional Centre and shall be eligible for degrees, diplomas and certificates;
 - (d) the conditions for award of fellowships, scholarships, medals and prizes;
- (e) the conditions and manner of appointment, term and duties of examining bodies, examiners and moderators;
 - (f) the conduct of examinations;
 - (g) the conditions of residence of students of the Regional Centre;
 - (h) the maintenance of discipline among the employees and students;
- (*i*) the courses of study to be laid down for all degrees, diplomas and certificates of the Regional Centre including the medium of instruction and examination;
- (j) the award of degrees and other academic distinctions, and the manner of granting and obtaining of the same;
- (k) the withdrawal of degrees, diplomas, certificates and other academic distinctions:
- (*l*) the fees to be charged for courses of study and for admission to examinations, degrees and diplomas of the Regional Centre;
- (*m*) the special arrangements, if any, which may be made for the residence and teaching of women students and prescribing of special courses of studies for them;
- (n) the establishment, management, recognition and abolition of centres of studies, schools, departments, specialised laboratories, halls and institutions; and
- (o) any other matter which by this Act or the Statutes, is to be, or may be, provided for by the Ordinances.

Regulations.

Statutes, Ordinances

and Regulations

to be

before

published in

the Official

Gazette and to be laid

Parliament.

- **43.** The authorities of the Regional Centre may make Regulations, consistent with the provisions of this Act, the Statutes and the Ordinances for the conduct of their own business and that of the Committees, if any, appointed by them and not provided for by this Act, the Statutes or the Ordinances, in the manner specified by the Statutes.
- **44.** (1) Every Statute, Ordinance or Regulation made under this Act shall be published in the Official Gazette.
- (2) Every Statute or Ordinance or Regulation made under this Act shall be laid, as soon as may be after it is made, before each House of Parliament, while it is in session, for a total period of thirty days which may be comprised in one session or in two or more successive sessions, and if, before the expiry of the session immediately following the session or the successive sessions aforesaid, both Houses agree in making any modification in the Statute or Ordinance or Regulation or both Houses agree that the Statute or Ordinance or Regulation should not be made, the Statute or Ordinance or Regulation shall thereafter have effect only in such modified form or be of no effect, as the case may be; so, however, that any such modification or annulment shall be without prejudice to the validity of anything previously done under that Statute or Ordinance or Regulation.
- Power to make Statutes or Ordinances or Regulations retrospectively.
- **45.** The power to make Statutes or Ordinances or Regulations under section 41 or section 42 or section 43, as the case may be, shall include the power to give retrospective effect, from a date not earlier than the date of commencement of this Act, to the Statutes or Ordinances or Regulations or any of them but no retrospective effect shall be given to any Statutes or Ordinances or Regulations so as to prejudicially affect the interests of any person to whom such Statutes or Ordinances or Regulations may be applicable.

46. (1) If any difficulty arises in giving effect to the provisions of this Act, the Central Government may, by order published in the Official Gazette, make such provisions, not inconsistent with the provisions of this Act, as appears to it to be necessary or expedient for removing the difficulty:

Power to remove difficulties.

Provided that no such order shall be made under this section after the expiry of two years from the commencement of this Act.

(2) Every order made under this section shall be laid, as soon as may be after it is made, before each House of Parliament.

DR. G. NARAYANA RAJU, Secretary to the Govt. of India.